क्या आप गौ हत्यारों एवं गौ तस्करों पर मजबूत कानून बनवाकर रोक लगाने के समर्थन में हैं?

यदि आपका जवाब हां में है तो अपना समर्थन देकर निम्न प्रकार से सहयोग करें।

जिससे हमारे सांसदगण गौहत्या रोको कानून संबंधी हमारी मांगो को सांसद में प्रस्ताव लाकर बनाने के लिए मजबूर हो जाए।

अमर शहीद, राष्ट्रबंधु
राजीव भाई दीक्षित

आपको अपने मोबाइल नं. से मात्र तीन **एस.एम.एस. इस राष्ट्रीय नं.**

08141277555

पर भेजना है जिसमें आपको

प्रथम एस.एम.एस. :- में केवल आपका मतदाता पहचान पत्र का नंबर लिखना है जिसके प्रारंभ और अंत में स्टार लगाना है उदाहरण *HDJ653091*

द्वितीय एस.एम.एस. :- में केवल 0011 लिखकर भेजें

तृतीय एस.एम.एस. :- में केवल 0141 लिखकर भेजें

अधिक जानकारी के लिए देखें

tinyurl.com/TeenLineKanoon

tinyurl.com/Goraksha

(नोटः एक मोबाइल से केवल एक व्यक्ति का एसएमएस भेजें)

smstoneta.com

फेसबुक लिंक - fb.com/groups/rrgindia

आप (एक आम नागरिक) रोक सकते हैं गौ-हत्या ! करना होगा ये काम

गो-हत्या के बढ़ते चले जाने का कारण है सबूतों का आसानी से दबाया जाना और भ्रष्ट, रिश्वत लिए जज, सरकारी वकील और पुलिस द्वारा उचित कदम नहीं उठाना | इसलिए, दोषी को सज़ा नहीं होती और गो-हत्या चलती रहती है |

गो-रक्षा के लिए मुख्य प्रस्तावित समाधान

1. पारदर्शी शिकायत-प्रस्ताव प्रणाली (टी.सी.पी.) - जनता का जांचा जा सकने वाला मीडिया

सबूतों को दबाया नहीं जा सके, इसलिए नागरिक के पास विकल्प हो कि वो अपनी अर्जी वोटर आई.डी. के साथ प्रधानमंत्री वेबसाइट पर स्कैन करवा सके ताकि बिना लॉग-इन के सभी उसे देख सकें | सबूत नहीं दबने के कारण गो-रक्षा होगी | अधिक जानकारी के लिए कृपया rtrg.in/tcpsms.h दखें या righttorecall.info/tcpsms.h.pdf डाउनलोड कर पढ़ें

2. पुलिस-कमिश्नर और जिला प्रधान जज पर राईट टू रिकॉल -

यदि नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया हो कि वे सरकारी वकील, जिला प्रधान जज और पुलिस को किसी भी दिन बदल सकें, तो नौकरी जाने के डर से 99% अफसर अपना कार्य सुधार देंगे | फिर, दोषियों को समय पर उचित सज़ा मिलेगी और गो-हत्या कम हो जायेगी | अधिक जानकारी के लिए कृपया www.tinyurl.com/GoRaksha पढ़ें |

3. ज्यूरी द्वारा आरोपित पर पब्लिक में नारको जांच -

ज्यूरी सिस्टम में क्रमरहित तरीके से हर मामले के लिए, अलग-अलग 15 से 1500 नागरिक चुने जाते हैं, जो फैसला करते हैं, जज फैसला नहीं करता | इस सिस्टम में, जज सिस्टम की तुलना में फैसला जल्दी और न्यायपूर्वक आता है जिससे गो-रक्षा में मदद मिलेगी | ज्यूरी निर्णय करेगी कि पब्लिक में नारको आदि कौनसी कार्रवाई की जाये या नहीं | अधिक जानकारी के लिए www.tinyurl.com/GoRaksha पढ़ें |

नागरिक केवल 3 एस.एम.एस. करके अपना वोटर आई.डी. इन्टरनेट समर्थन दर्ज करके गो-रक्षा कानून ला सकते हैं

08141277555 पर अपने मोबाइल इन्बोक्स से कृपया तीन एस.एम.एस. भेजें -

- पहला एस.एम.एस. इस प्रकार रहेगा (मतलब दो स्टार सिम्बल के बीच में अपना वोटर आई.डी. नंबर डाल कर एस.एम.एस. करें)

  आपकी-वोटर-आई.डी.-संख्या

- दूसरे एस.एम.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो टी.सी.पी. का समर्थन कोड है - **0011**
- तीसरे एस.एम.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो गो-हत्या विरोधी कानूनों का समर्थन कोड है - **0141**

आपका समर्थन पंजीकृत होने के बाद इस लिंक पर आएगा - www.smstoneta.com/tcp | यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ये इन्टरनेट वोटर आई.डी. समर्थन प्राप्त हो गया, तो ये कानून उस क्षेत्र में आ जायेंगे और गो-हत्या कम हो जायेगी | **नोट** – यदि किसी करणवश आपके पास वोटर आई.डी. नहीं है, तो आप पहला एस.एम.एस इस प्रकार से भेजें – ***abc1234567* ;** दूसरा और तीसरा एस.एम.एस उसी प्रकार से रहेंगे जैसे ऊपर बताया गया है | फिर, आपका समर्थन अपंजीकृत पेज पर आएगा इस (smstoneta.com/apanjikrit)